...ालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान धन्नी देवी बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –344/2025
निर्णय दिनांक 26/08/2025....

धन्नी देवी पत्नी इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीनी द्वारा नायब तहसीलदार साहवा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास पटवार हल्का धीरवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 249 खसरा सं. 2617/2414 तादादी 2.5164 हैक्ट. ख.नं. 656 तादादी 3.9073 हैक्ट., ख.नं. 690 तादादी 0.7840 हैक्ट, में धनीदेवी है जबकि अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, में नाम धन्नी देवी है। अतः प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में धनीदेवी के स्थान पर धन्नी देवी अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र के संबंध में नायब तहसीलदार साहवा के पत्रांक एलआर/2025/322 दिनांक 12.08.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेज एवं पूछताछ में प्रार्थीनी धनीदेवी व धन्नी देवी एक ही व्यक्ति है। अतः धनीदेवी के बजाय धन्नी देवी किया जाना उचित है।

नायब तहसीलदार साहवा से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीनी का नाम धनीदेवी व धन्नी देवी दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, में प्रार्थीनी का नाम धन्नी देवी पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीनी का नाम धनीदेवी अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीनी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास पटवार हल्का धीरवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 249 खसरा सं. 2617/2414 तादादी 2.5164 हैक्ट. ख.नं. 656 तादादी 3.9073 हैक्ट., ख. नं. 690 तादादी 0.7840 हैक्ट, के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम धनीदेवी **Delete** कर इसके स्थान पर धन्नी देवी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अगलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2025.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)